



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 11.03.2022

कार्यालय आदेश

विषय: महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान/भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त वेद पाठशालाओं/गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक एवं पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था - खाद्य सामग्री के क्रय एवं भोजन की व्यवस्था की निगरानी हेतु समिति का गठन।

सभी वेद पाठशालाओं और गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त छात्रों को प्रति छात्र प्रति माह 4000/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें से रु. 3000/- का भुगतान वेद पाठशालाओं/जीएसपी यूनिट शिक्षक के बैंक खातों में छात्रों के लिए आवास और भोजन की उचित व्यवस्था करने के लिए रखरखाव छात्रवृत्ति के रूप में किया जाता है, शेष रु. 1000/- का भुगतान प्रत्येक छात्र के माता-पिता के साथ संयुक्त बैंक खाते में स्वतः छात्रवृत्ति के रूप में किया जाता है।

2. अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ वेद पाठशालाएं/इकाइयां छात्रों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन/आवास की उचित व्यवस्था नहीं कर रही हैं। हाल ही में, कई परीक्षकों और स्वयं छात्रों द्वारा भी यह बताया गया है कि कई वेद पाठशालाओं / इकाइयों में उन्हें पर्याप्त मात्रा में उचित भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। दूध और घी, जो वेद छात्रों के विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हें भी उचित मात्रा में नहीं दिया जाता है।

3. अतः सभी आर्थिक सहायता प्राप्त वेद पाठशालाओं के प्रबंधकों को निर्देश दिया जाता है कि वेद पाठशालाओं में विद्यार्थियों के भोजन एवं रहन-सहन की खरीद एवं व्यवस्था की निगरानी के लिए 15 दिनों के भीतर तत्काल एक समिति गठित की जाए. भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था पाठशाला/विद्यालय में इसी समिति की देखरेख में करनी होगी। जिस उद्देश्य के लिए सरकारी धन स्वीकृत किया गया है, उसकी पारदर्शिता और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह उचित है कि निधि के उपयोग की निगरानी और पर्यवेक्षण एक समिति द्वारा किया जाए, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा।

4. समिति में वेद पाठशाला/विद्यालय चलाने वाली संस्था/न्यास के प्रबंधन से एक सदस्य, दो वेद शिक्षक और एक संस्कृत/आधुनिक विषय का शिक्षक होगा। समिति के सभी सदस्यों को वेद अध्ययन के लिए उचित माहौल बनाने के लिए छात्रों के भोजन/आवास व्यवस्था की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।


5. समिति विद्यार्थियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री/मेनू की साप्ताहिक सूची तैयार करे। यह आवश्यक है कि उच्च गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाए। किसी भी प्रकार के अस्वास्थ्यकर/जंक फूड से बचना चाहिए।

6. समिति वेद विद्यालय के छात्रों के नाम से प्राप्त किसी भी दान सामग्री (चावल, आटा, तेल, दाल, दूध, फल, कपड़े और अन्य सामान) को लेखा किताब में लेगी और केवल छात्रों के लिए उनका उपयोग सुनिश्चित करेगी।


7. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिष्ठान से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई आवश्यक सामग्री (चावल, आटा, तेल, दालें, दूध, फल, सब्जी, कपड़े और अन्य वस्तुएं आदि) अच्छी गुणवत्ता की हों तथा बोली और बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से न्यूनतम मूल्य पर खरीदी गई हों। समिति के सभी सदस्यों के लिए अपने हस्ताक्षर करके वाउचरों को प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदी गई सभी वस्तुएं बाजार से विद्यालय तक पहुंचें, स्टॉक रजिस्टर में दर्ज हो जाएं और वेद के छात्रों के लिए बिना किसी बर्बादी के उचित रूप से उपयोग किया जाए।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)

E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in


11/3/2022

8. साप्ताहिक भोजन सूची (नाश्ता, दोपहर का भोजन, दोपहर का नाश्ता, रात का खाना) तैयार किया जाए और सरळी से पालन किया जाए। भोजन पर मासिक व्यय विवरण तैयार किया जाए और प्रबंधन के नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
9. गुरु-शिष्य परम्परा इकाई शिक्षक को इसी प्रकार साप्ताहिक भोजन सूची तैयार करनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, भोजन पर होने वाले खर्च का मासिक लेखा-जोखा रखना चाहिए, विधिवत प्रमाणित करना चाहिए, और जब भी आवश्यकता हो ऑडिट के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
10. समिति के सदस्यों और प्रबंधन के नामित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित भोजन व्यय का मासिक विवरण, छात्रों की मासिक उपस्थिति पत्र के साथ प्रतिष्ठान को प्रस्तुत किया जाए।
11. प्रतिष्ठान द्वारा पाठशाला/इकाई के औचक निरीक्षण के दौरान भोजन व्यय हेतु उक्त लेखा बही प्रस्तुत करनी होगी।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रति:

- (1) सचिव के निजी सचिव, एमएसआरवीवीपी
- (2) डॉ. अनूप कुमार मिश्रा, अनुभाग अधिकारी (प्रभारी)
- (3) सभी पाठशालाएं/जीएसपी इकाइयां
- (4) सभी पाठशालाएं/जीएसपी इकाइयां डीलिंग असिस्टेंट
- (5) कार्यालय आदेश फ़ाइल
- (6) श्री विवेक शर्मा - प्रतिष्ठान की वेब साईट पर अपलोड के लिये।



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

No.17-3/2019(A&F)/MSRVVP/

Dated: 11.03.2022

Office Order


Subject: Arrangement of nutritious and sufficient quantity of food for the students studying in Veda Pathshalas/Guru-Shishya Parampara Units, financially assisted by MSRVVP/Govt of India – Constitution of Committee for overseeing purchase of food materials and arrangement of food.

All the financially aided students studying in all the Veda Pathshalas & Guru-Shishya Parampara Units are given stipend of Rs. 4000/- per student per month, out of which Rs. 3000/- is paid as maintenance stipend into the bank accounts of the Veda Pathshalas/GSP Unit teacher for making proper arrangement of accommodation and food for the students. Balance Rs. 1000/- is paid in joint bank account with the Parents of each student as self stipend.

2. It has come to the notice of the undersigned that some of the financially aided Veda Pathshalas/Units are not making proper arrangements for good quality food/accommodation for the students. Recently, it has been reported by many examiners and also by the students themselves that sufficient quantity of proper food is not provided to them in many Veda Pathshalas/Units. Milk and ghee, which are essential for the Veda students' development, are also not given in suitable quantity.

3. Therefore, the Managements of all the financially aided Veda Pathshalas are instructed that a committee should be constituted immediately within 15 days to oversee the purchases and arrangements of food and living condition of the students in the Veda Pathshalas. The food and other essential arrangements will have to be done under the supervision of this **Committee** in the Pathshalas/Vidyalaya. To ensure transparency and utilization of govt. money for the purpose for which it is sanctioned, it is appropriate that utilization of the fund is monitored and supervised by a Committee, and **NOT** by a single person.


4. The Committee shall consist of one member from the Management of the Society/Trust running the Veda Pathshalas/Vidyalaya, two Veda teachers and one Sanskrit/ modern subject teacher. All members of the Committee have to actively participate in the process of food/accommodation arrangement of the students to create proper ambience for Veda study.


11.03.2022

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फेक्स (0734-2502253)

E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

5. The Committee should prepare a weekly list of food items/ menu to be given to the students. It is essential that vegetarian food of high quality and in sufficient quantity is provided. Unhealthy/ junk food of any type should be avoided.
6. The Committee shall take into account books any donation material (rice, flour, oil, pulses, milk, fruits, clothes and other items), received in the name of the students of Veda Vidyalaya and ensure their utilization for the students only.
7. The Committee shall ensure that essential materials (rice, flour, oil, pulses, milk, fruits, vegetable, clothes, and other items etc.) purchased out of the grant received from the Pratishthan are of good quality and are purchased at lowest price through bidding and market survey. It will be mandatory for all the Committee members to authenticate the vouchers by putting their signature. The Committee should ensure that all items purchased reach the Vidyalaya from the market, get entered in the stock register and properly used for the Veda students, without any wastage of food item.
8. Weekly food list (Items for breakfast, lunch, afternoon snack, dinner) may be prepared and strictly followed. Monthly expenditure statement on food may be prepared and got signed by the designated officer of the Management.
9. Guru-Shishya Parampara Unit Teacher should similarly prepare weekly food list and follow the same, maintain monthly accounts of expenditure on food, duly authenticated, and submit for audit whenever called for.
10. Monthly statement of food expenses, duly signed by the Committee members and the designated officer of the Management, may be submitted to Pratishthan along with monthly attendance sheet of the students.
11. During the surprise inspection of the Pathashala/Unit by the Pratishthan, the said account books for food expense will have to be produced.


11.03.2022
(Prof. Viroopaksha V. Jaddipal)
Secretary

Copy to:

- (1) Private Secretary to the Secretary, MSRVVP
- (2) Dr. Anoop Kumar Mishra, Section Officer (I/C)
- (3) All Pathashalas /GSP Units
- (4) All Pathashalas /GSP Units Dealing Assistant
- (5) Office order file
- (6) Shri Vivek Sharma – for uploading on the website